

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या.....

पटना, दिनांक:-

अधिघोषणा

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-बौराहा, थाना सं०-१८५, परगना—धपहर, थाना—वीरपुर, जिला—सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् इंडो-नेपाल बोर्डर रोड निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम—बौराहा थाना सं०-१८५ के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 1.32900 (एक एकड़ बतीस डी० नौ सौ वर्गकड़ी) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः—

पूर्ण खेसरा संख्या— 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255 एवं 1256

अंश खेसरा संख्या— शून्य

चौहड़ीः—


उत्तर— सीमा—भैरोगंज थाना नं०-१९२ जिला—अररिया

दक्षिण— मौजा—बसमतिया थाना नं०-१९१ जिला—अररिया

पूरब— सीमा—भैरोगंज थाना नं०-१९२ जिला—अररिया

पश्चिम— खेसरा सं०-1240, 1241, 1242 1243 एवं 1219

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।



समाहर्ता,
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

40/-

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

-2-

ज्ञापांक:- २६९५ / रा०

दिनांक:- २२ - 11 - 13

प्रतिलिपि:-

- तीन अतिरिक्त प्रतियों सीड़ी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों— जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित सस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच-पॉच प्रतियों इस विभाग को एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहत्ता, सुपौल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६८/११/१८
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

✓